डॉ. गोपाल लाल चौधरी
क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान)

कृषि अनुसंधान केन्द्र

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)
नौगावां, अलवर–301025 (राजस्थान)
ई.मेलः zdr.navgaon@sknau.ac.in
दूरभाषः 01468-296600
मोबाइल नं.: 9413231557

क्रमांकः एफ.(प्रक्षेत्र भंडार)/कृ.अनु.के.नौगावां/2026–27/**62** दिनांकः **27.05.2026**

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां के प्रक्षेत्र पर कृषि वर्ष 2026–27 के दौरान हिस्सा आधारित खेती के लिए इच्छुक फर्मो/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास पैन कार्ड एवं आधार कार्ड हो से निर्धारित प्रपत्र मे दिनांकः 09.06.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/– क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद भुगतान कर दिनांकः **09.06.2026** को **प्रातः 11:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांकः **09.06.2026** को **प्रातः 11:30 बजे तक जमा होगें।** प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **दोपहर 12:15 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	धरोहर राशि (रू)
1.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 35.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि वर्ष 2026–27 के दौरान हिस्सा आधारित खेती का कार्य।	9,50,000/–	35,000/–

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनरे।
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा के दिन अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करें।
4. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. समस्त निविदा समिति सदस्य .... कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर।
6. सूचना पट्ट कृषि अनुसंधान/कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि महाविद्यालय, नौगांवा।
7. सूचना पट्ट पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/ग्राम पंचायत नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
8. रक्षित/निविदा पत्रावली।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

हिस्सा आधरित खेती हेतु निविदा

1. कार्य का नाम	:	फसलों की हिस्सा आधारित खेती
2 बजट हैड	:	चक्रीय निधि (Revolving fund)
3 कार्य की अनुमानित अवधि	:	कृषि वर्ष 2026–27 (खरीफ, 2026 एवं रबी, 2026–27)
4. निविदा फार्म का शुल्क	:	500/–रूपये बैंक ड्राप्ट/बैंकर चैक/नगद
5. धरोहर राशि	:	35000/– रूपये बैंक ड्राप्ट/चैक अथवा नगद
6. कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	:	लगभग 35.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग 9.50 लाख रूपये)
7. निविदा क्रय करने की दिनांक व समय	:	09.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक
8. निविदा जमा कराने की दिनांक व समय	:	09.06.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	09.06.2026 को दोपहर 12:15 बजे
10. निविदा की शर्तें	:	पृष्ठ संख्या दो से चार
11. फसल व हिस्सेदारी का विवरण	:	प्रपत्र संख्या एक–पृष्ठ संख्या आठ
12. पत्राचार हेतु पता	:	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां–301025 जिला–अलवर फोन नं. 01468– 296600, मो.न. 9413231557

NIB Code: SKN2627A0069, UBN: SKN2627WSRC00068

निविदा की शर्तें:–

1.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर **"हिस्सा आधारित खेती के लिए निविदा"** लिखा हो को क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
2.	प्रस्तावित प्रतिशत हिस्सेदारी फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट–छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3.	यह हिस्सा आधारित खेती केवल कृषि वर्ष 2026–27 (खरीफ, 2026 एवं रबी, 2026–27) के लिए ही मान्य होगी।
4.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 35.00 हैक्टर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना है, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के आधार पर किया जायेगा।
5.	ट्रैक्टर संबंधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य, कीटनाशक एवं खरतपवारनाशकों का छिड़काव आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जावेगी तथा इनसे सम्बन्धित कार्य में लगने वाले श्रमिक निविदादाता के रहेगें। उक्त कार्यो में डीजल खर्च केन्द्र का रहेगा।
6.	फसल उत्पादन में लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरतपवारनाशक एवं अन्य आवश्यक आदान की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जावेगी।
7.	निविदादाता कों सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे, बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करनें होगें तथा कार्य समाप्त होने तक समस्त देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्त होने पर उतनी ही संख्या एवं जिस स्थिति प्राप्त किये थे वापस लौटाने होंगे। सामान कम लौटाने एवं टूट–फूट होने पर सामान की कीमत कार्यालय में जमा करानी होगी।

8.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे एवं आवश्यक औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
9.	प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विघुत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10.	सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के उपरांत वर्षपर्यन्त दिन–रात फसल खेत में से उठने तक प्रक्षेत्र पर मौजूद संपूर्ण सपंति यथा प्रक्षेत्र बांउड्री, पेड़–पौधे, टयूब–वैल, प्रक्षेत्र पर मौजूद सभी फसलें आदि की चौकीदारी एवं फसलों की नीलगाय व अन्य जानवरों से सुरक्षा का कार्य करना होगा। किसी भी प्रकार की क्षति होने पर नुकसान की भरपाई निविदादाता को करनी होगी।
11.	टयूब–वैलों पर स्थित मोटर–पम्प, स्टार्टर, मास्टर आदि सामान कार्य प्रारम्भ करते समय चालू हालत में निविदादाता को दी जावेगी एवं कार्य के समापन पर चालू हालत में ही वापस सुपूर्द करनी होगी। इस बीच खराब होने पर मरम्मत का व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
12.	टयूबवैलों की मोटरों को चलाने का कार्य निविदादाता को ही करना होगा एवं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। टयूबवैलों के विधुत बिलों का भुगतान कार्यालय द्वारा वहन किया जावेगा तथा अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी। सिंचाई हेतु उपलब्ध टयूब–वैल से आवश्यकतानुसार एवं उचित सिचांई की अनुमति होगी।
13.	फसल उत्पादन में लगने वाले समस्त श्रमिकों की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
14.	केन्द्र प्रक्षेत्र पर आवास की कोई सुविधा देय नही है। आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर व स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
15.	निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र प्रक्षेत्र पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगें और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देगें एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16.	केन्द्र पर फसलें बीजोत्पादन के लिए ही लगायी जाती है अतः अवांछित पौधों एवं खरपतवारों को निकालने के लिए आवश्यकतानुसार रोगिंग का कार्य संबंधित अधिकारी की देखरेख में निविदादाता को अपने श्रमिकों के द्वारा करवाना होगा। निविदादाता के द्वारा रोगिंग कार्य नहीं करवाने अथवा देरी करने पर केन्द्र द्वारा रोगिंग कार्य करवा लिया जायेगा तथा लगने वाले श्रमिकों का खर्चा निविदादाता के हिस्से से काट लिया जावेगा। साथ ही साथ फसल बुवाई क्षेत्र के आस–पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17.	फसल में आवश्यक सस्य क्रियाऐं, फसल कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य संबंधित कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार एवं मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार संबंधित अधिकारी को होगा। सामान्यतया फसल की थ्रेसिंग का कार्य थ्रेसर के द्वारा ही करवाया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों यथा खराब मौसम में केन्द्र की समिति के निर्णय के अनुसार फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य करवाना होगा।
18.	किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
19.	फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य में लगने वाले समस्त संसाधनों यथा श्रमिक, थ्रेसर आदि की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। फसल की थ्रेसिंग का कार्य संबंधित अधिकारी की निगरानी में उनके निर्देशानुसार करना होगा। थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को गोदाम तक लाने के लिए ट्रैक्टर–ट्रोली केन्द्र उपलब्ध करायेगा।
20.	फसल को थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को गोदाम में लाकर समान वजन की बोंरियों में भरना होगा एवं व्यवस्थित तरीके से धांग लगानी होगी। बोरिया केन्द्र उपलब्ध करायेगा। वजन तोलते समय नियमानुसार नमी एवं कचरा के लिए कुल वजन का 2 प्रतिशत की दर से काटा जायेगा एवं अधिक कचरा एवं नमी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णयानुसार वजन काटा जायेगा।

	केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगायी जाने वाली मूंगफली फसल की थ्रेसिंग करवाने के बाद प्राप्त फलियों को संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार धूप में सुखाने के बाद पुनः थ्रेसर मशीन अथवा मजदूरों से सफाई करवाने के बाद बोरियो में भरकर बताये गये स्थान पर रखना होगा।
21.	निविदादाता को सभी कार्य समय पर सम्बंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराने होगें यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जावेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या कार्य संतोष जनक नहीं होने पर निविदा को बीच में भी निरस्त कर अगली वरीयता पार्टी को कार्य करने का आदेश क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान दे सकेगें, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
22.	संबंधित अधिकारी के कार्य से संतुष्ट होने पर ही निविदादाता को हिस्सेदारी का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा। लापरवाही की वजह से फसलों में नुकसान की स्थिति में वास्तविक नुकसान का आंकलन केन्द्र की समिति द्वारा करवाकर नुकसान की भरपायी निविदादाता के हिस्से से की जावेंगी।
23.	किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
24.	कृषि उपज मण्डी अलवर के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के आधार पर अथवा केन्द्र की निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार अथवा विश्वविधालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जावेगा। केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को काई आपत्ति नहीं होगी।
25.	यह निविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम निविदा है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
26.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
27.	किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविधालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
28.	सफल निविदादाता को समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, ऐसा लिखकर रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
29.	निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनरे के कार्यालय आदेश क्रमांक No.F.04/Estt.()/DOR/SKNAU/2022/679 Dated: 20.10.2022 के अनुसार शर्ते मान्य होगी।
30.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
31.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढे व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तो को पढ लिया है एंव समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा आधारित खेती करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय पूर्ण
पता एवं मोबाइल नं.

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

<u>हिस्सा आधरित खेती हेतु</u>

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र</u>

निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

....

1. धरोहर राशि रूपये 35,000/– का विवरणः डी.डी./चैक/रशीद सं. ...., दिनांकः ....
2. निविदादाता का पैन नं.: .... (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
3. निविदादाता की आधार संख्याः .... (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता को शर्तो पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर मय सील करने है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।

9. कृषि उपज मण्डी अलवर के (फसल निकालने की अवधि के) 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद की अवधि के औसत भाव के आधार पर अथवा केन्द्र की निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार अथवा विश्वविधालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा किया जायेगा।
10. निविदा सीलबंद लिफाफे में जमा की जावेगी।
11. धरोहर राशि सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के उपरांत वापस कर दी जावेंगी एवं इस पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय स्पष्ट नाम, पता व मोबाइल नम्बर

कृषि अनुसंधान केन्द्र,नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

<u>हिस्सा आधरित खेती हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

(प्रपत्र संख्या–1)

मैं नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

क्र. सं.	मौसम	फसल का नाम	उत्पाद	हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने की दरें (प्रतिशत में)	विशेष विवरण
1.	खरीफ, 2026	1. मूँग	दाना		
		2. उड़द	दाना		
		3. ग्वार	दाना		
			भूसा		
		4. मूँगफली	दाना		
			भूसा		
		5. तिल	दाना		
		6. अन्य फसल	दाना		
			भूसा		
2.	रबी, 2026–27	1. गेंहूँ	दाना		
			भूसा		
		2. जौ	दाना		
			भूसा		
		3. सरसों	दाना		
			भूसा/तूडी		
		4. चना	दाना		
			भूसा		
		5. अन्य फसल	दाना		
			भूसा		

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
मय स्पष्ट नाम, पता व मोबाइल नम्बर

अनुसंधान निदेशालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
जोबनेर-303329 जिला.जयपुर (राजस्थान)
दूरभाष/फैक्स नं. 01425-254966(ऑ.), 9251692348(मो.)
ई-मेल : *director.research@sknau.ac.in*

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. एम.एल.जाखड़
निदेशक अनुसंधान

No. F.04/Estt.( )/DOR/SKNAU/2022/ 679 Dated: 20.10.2022

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत ईकाईयो पर हिस्सा आधारित खेती के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से निर्धारित किये जाते है:

1. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्याालय, जोबनेर के अधीन विभिन्न केन्द्रो पर हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।
3. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
4. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
5. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के तुंरन्त बाद 1000/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
6. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, ओजारो, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त शष्य क्रियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व ओजारो की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चोकीदारी ,पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यवसायी उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

15. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को मे जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी मे 7 दिन पहले एवं 7दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।
19. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
21. संबधित विश्वविद्यालय इकाई द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के अधिकतम एक माह मे हिस्सा राशि संबधित हिस्सादार को अदा करनी होगी।

निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी/कार्यक्रम समन्वयक/भू–सम्पत्ति अधिकारी/परियोजना प्रभारी/आहरण वितरण अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, KVK/...।
5. सिमका प्रभारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. श्रीमान कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. रक्षित पत्रावली।

20.10.2022
निदेशक अनुसंधान